COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES CANCELLED

(1)

195

समक्ष:- न्यायालय राजस्व मण्डल, कैम्प जबलपुर म0प्र0 (3)

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक ----------/2013 R-2722-I/13

पुनरीक्षणकर्तागण:- - 1- संजय कुमार आत्मज भैयालाल चौके
2- विजय कुमार आत्मज भैयालाल चौके,
जाति मारा, निवासी- कुलीटोला तहसील लांजी,
जिला-बालाघाट म0प्र0 ।
हाल मुकाम टाटीबंद रायपुर जिला-रायपुर छ0ग0.

श्री शशांक त्रिवेदी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत
प्रस्तुतकार 2152
20 JUN 2013
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग

विरुद्ध

251

अनावेदकगण:- - 1- ओंकार पिता व्यंकट राव किरनापुर, जाति कलार,
निवासी- लांजी, तह0 लांजी, जिला-बालाघाट म0प्र0
2- तहसीलदार, लांजी, जिला-बालाघाट, म0प्र0
3- अनुविभागीय अधिकारी, तहसील लांजी,
जिला-बालाघाट म0प्र0 ।
4- कलेक्टर बालाघाट जिला बालाघाट म0प्र0

6/7/13

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता

पुनरीक्षणकर्तागण अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर बालाघाट के प्रकरण क्रमांक 35-अ-21/2011-12 आदेश दिनांक 4/1/2013 से क्षुब्ध होकर निम्नलिखित पुनरीक्षण प्रस्तुत करते है :-

पुनरीक्षणकर्तागण निम्नलिखित निवेदन करते है कि :-

(1) यह कि, पुनरीक्षणकर्तागणों की भूमि ग्राम लांजी प0ह0नं0 19, रा0नि0मं, लांजी, मे भूमि स्वामी हक की जिसका खसरा नंबर 693/1 व रकबा 0.90/0.395, खसरा नंबर 694/15 रकबा 1.00/0.405 एकड़ मे स्थित है ।

(2) यह कि, पुनरीक्षणकर्तागण आदिवासी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते है, व उनके द्वारा अपनी उपरोक्त भूमि प्रारंभ मे आदिवासी वर्ग के व्यक्ति को ही विक्रय करने का प्रयास किया गया, किन्तु उक्त भूमि क्रय करने हेतु आदिवासी वर्ग का कोई व्यक्ति न मिलने के कारण उनके द्वारा गैर-आदिवासी वर्ग के व्यक्ति

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2722-एक/13 **जिला** - बालाघाट

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25/02/2019	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री शशांक त्रिवेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 30.04.2019 को आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर के समक्ष उपस्थित हों। सदस्य **आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर**	